न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 241 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

यूग्रो कैपिटल लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **हेमेन्द्र कुमार**
शाखा कार्यालयः– 5th फ्लोर, आईबीसी टॉवर, अशोक नगर, सी–स्कीम, जयपुर, राजस्थान–332001

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर खीवा राम यादव,** खसरा नम्बर 499 / 1, गांव अजमेरी, नीमकाथाना, सीकर, सुरज धर्म कांटा, सीकर (राज.) 332713
2. **खीवा राम यादव पुत्र देवी सहाय यादव,** वार्ड नं. 07, सुभाष कॉलोनी, हथिदेह, सीकर (राज.) 332707
3. **कोशल्या यादव पत्नि खीवा राम यादव,** सागर कॉलोनी, जोड़ी की ढ़ाणी, हथिदेह, सीकर (राज.) 332707

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 15 दिसम्बर, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री दिनेश कुमार सैनी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर खीवा राम यादव, खीवा राम यादव पुत्र देवी सहाय यादव** एवं **कोशल्या यादव पत्नि खीवा राम यादव** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथीगणों के स्वामित्व की बंधक चल सम्पत्तियां निम्न प्रकार हैः–

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

I. **प्रथम चल बंधक संपत्तिः—** ON GRID SOLAR SYSTEM MODULE (INA/GREW/LUMINOUS PANEL 550 WP NON DCR GRID TIE INVERTER (POLYCAB-400KW)

II. **द्वितीय बंधक संपत्तिः—** INSTALLATION & COMMISSIONING ACDB, DCDB, LA-EARTHING AV-DC WIRE, NET METER SOLAR METER, STRUCTURE

उक्त चल सम्पत्तियों को बंधक रखकर **₹1,37,23,549/– (अक्षरे रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख तेईस हजार पांच सौ उनचास)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **20.05.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **20.05.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **श्री श्याम मिनरल्स जरिये पार्टनर खीवा राम यादव, खीवा राम यादव पुत्र देवी सहाय यादव** एवं **कोशल्या यादव पत्नि खीवा राम यादव** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थीगणों के स्वामित्व की बंधक चल सम्पत्तियां निम्न प्रकार है:—

I. **प्रथम बंधक संपत्तिः—** ON GRID SOLAR SYSTEM MODULE (INA/GREW/LUMINOUS PANEL 550 WP NON DCR GRID TIE INVERTER (POLYCAB-400KW)

II. **द्वितीय बंधक संपत्तिः—** INSTALLATION & COMMISSIONING ACDB, DCDB, LA-EARTHING AV-DC WIRE, NET METER SOLAR METER, STRUCTURE

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **15 दिसम्बर, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर